

उन्वान

- 1- चेतन कुमार आत्मज जगन्नाथ जाति भीणा निवासी मण्डोला तहसील दीगोद जिला कोटा राज0 (वादी)

बनाम

- 1- राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार दीगोद जिला कोटा (प्रतिवादी)

वादी की ओर से – श्री शिव प्रसाद शर्मा एडवोकेट  
प्रतिवादी की ओर से – तहसीलदार दीगोद

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट बाबत घोषणा इन्द्राज दुरुस्ती

### निर्णय

वादी ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :-

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम मण्डोला तहसील दीगोद जिला कोटा में खसरा नम्बर 166 की 0.04 हेक्टर, खसरा नम्बर 287 की 3.11 हेक्टर, खसरा नम्बर 461 की 0.39 हेक्टर, खसरा नम्बर 462 की 2.33 हेक्टर, खसरा नम्बर 85 की 0.13 हेक्टर, कुल किता 5 की रकबा 6.00 हेक्टर भूमि स्थित चली आ रही है। जमाबन्दी सम्वत् 2073-2076 संलग्न है। तथा ग्राम देवपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा में खसरा नम्बर 614 की 3.10 हेक्टर भूमि स्थित चली आ रही है नकल जमाबन्दी सम्वत् 2072-2075 संलग्न है।

यह कि उक्त भूमि वादी व अन्य सहखातेदार के शामिलती खाते में दर्ज चली आ रही है। ग्राम मण्डोला के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम चेतन प्रकाश एवं ग्राम देवपुरा के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम चेतन दर्ज है जबकि वादी का नाम चेतन कुमार है। किन्तु वादी के आधार कार्ड, बैंक डायरी, जन आधार कार्ड, व पेन कार्ड, वोटर लिस्ट आदि में चेतन कुमार दर्ज है। इस कारण राजस्व रिकार्ड में चेतन प्रकाश व चेतन के स्थान पर चेतन कुमार दर्ज कर राजस्व रिकार्ड को दुरुस्त किया जाना आवश्यक है।

यह कि इस सम्बन्ध में वादी ने प्रतिवादी से दिनांक 20.08.2023 को वादी का नाम दुरुस्त करने हेतु निवेदन करने पर अदालत में कार्यवाही करने को कहा गया। जिस कारण यह वाद पत्र वादी के लिये प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है।

यह कि वाद कारण वादी का नाम राजस्व रिकार्ड व अन्य रिकार्ड में अलग अलग नाम दर्ज होने के कारण दिनांक 20.08.2023 को प्रतिवादी के कर्मचारियों द्वारा उपरोक्त



चेतन कुमार  
वादी  
दीगोद जिला कोटा (राज0)



राजस्थान सरकार  
तहसीलदार  
दीगोद जिला कोटा (राज0)



अध्यक्ष  
राष्ट्रीय लोक अदालत  
दीगोद जिला कोटा

भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम दुरुस्त नहीं करने व अदालत में कार्यवाही करनी की कहने पर पैदा हुआ।

अतः वादी ने निवेदन किया है कि ग्राम मण्डोला तहसील दीगोद जिला कोटा में खसरा नम्बर 166 की 0.04 हेक्टर, खसरा नम्बर 287 की 3.11 हेक्टर, खसरा नम्बर 461 की 0.39 हेक्टर, खसरा नम्बर 462 की 2.33 हेक्टर, खसरा नम्बर 85 की 0.13 हेक्टर, कुल किता 5 की रकबा 6.00 हेक्टर भूमि में वादी का नाम चेतन प्रकाश के स्थान पर चेतन कुमार तथा ग्राम देवपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा में खसरा नम्बर 614 की 3.10 हेक्टर भूमि वादी का नाम चेतन के स्थान पर चेतन कुमार दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती किये जाने की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे।

वादी की ओर से निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये गये:-


- 1- नकल जमाबन्दी ग्राम मण्डोला सम्वत 2073-2076 खाता संख्या 144
- 2- नकल जमाबन्दी ग्राम देवपुरा सम्वत 2072-2075 खाता संख्या 72
- 3- आधार कार्ड चेतन कुमार
- 4- पहचान पत्र की छाया प्रति
- 5- पेन कार्ड की छाया प्रति
- 6- ग्राम पंचायत सीमलिया की तस्दीक
- 7- ड्राईविंग लाईसेन्स की छाया प्रति

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी विधिवत करवायी गई प्रतिवादी तहसीलदार की ओर से जवाब सरकार प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार दीगोद ने अपने जवाब चेतन प्रकाश, चेतन एवं चेतन कुमार एक ही व्यक्ति होना प्रकट किया है। तथा वादी का नाम ग्राम मण्डोला में चेतन प्रकाश के स्थान पर चेतन कुमार एवं ग्राम देवपुरा में चेतन के स्थान पर चेतन कुमार दर्ज किये जाने की अनुशंसा की गई है।

वादी के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रकरण में जवाब सरकार एवं पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। वादी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार जाकर ग्राम मण्डोला तहसील दीगोद जिला कोटा में खसरा नम्बर 166 की 0.04 हेक्टर, खसरा नम्बर 287 की 3.11 हेक्टर, खसरा नम्बर 461 की 0.39 हेक्टर, खसरा नम्बर 462 की 2.33 हेक्टर, खसरा नम्बर 85 की 0.13 हेक्टर, कुल किता 5 की रकबा 6.00 हेक्टर भूमि में वादी का नाम चेतन प्रकाश के स्थान पर चेतन कुमार तथा ग्राम देवपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा में खसरा नम्बर 614 की 3.10 हेक्टर भूमि वादी का नाम चेतन के स्थान पर चेतन कुमार दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तदनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली में अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रहने पर पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।


निर्णय आज दिनांक 9.12.2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प दीगोद में सुनाया गया।

  
सदस्य

तालुकामा विधिक सेवा समिति  
दीगोद जिला कोटा (राज.)

  
सदस्य

तालुकामा विधिक सेवा समिति  
दीगोद जिला कोटा (राज.)

  
अध्यक्ष

राष्ट्रीय लोक अदालत  
दीगोद जिला कोटा